

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलक्टर (SDO) मुकाम.....
जायतु

..... बनाम
किस्म मुकदमा नं. 119 सन् 2019
128 RLB Act

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9.4.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>खेम वीरम शिरोडा</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>16.4.19</u> को पेश हो।	
16.4.19	प्रार्थी वकील उपलब्ध/विप्रार्थी गण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिले शामिल पत्रावली सिपा बाद। विप्रार्थी 2 व 3 को अल वकील रिवास्तादर ऊपर उक्ति ली गई। पीटानी उक्ति का किंग कारो के व्यवहारे के पत्रावली दि 4.6.19 को पेश हो।	Understandable दि. 16.2.19 क 16.4.19 क
4.6.19	प्रार्थी वकील उपलब्ध/विप्रार्थी गण के वकील उपलब्ध। पीटानी उक्ति का किंग कारो के व्यवहारे के पत्रावली दि 4.9.2019 को पेश हो।	



4.9.19 प्रार्थी वकील उर्फ/ विप्रार्थीगण अनु/ पीठाली अधिकारी
द्विगार कार्यो में व्यस्त होने से पत्रावली दि 24/12/19 को पेश

24.12.19 प्रार्थी वकील उर्फ/ विप्रार्थीगण अनु/ पीठाली अधिकारी
अवकाश में होने से पत्रावली दि 12/2/2020 को पेश हो।

12.2.2020 प्रार्थी वकील उर्फ/ विप्रार्थीगण अनु/ विप्रार्थीगण सं 2 वं 3
की ओर ले वकील रिवाझा (म ने कालतनामा पेश नहीं किया गया अ
रिवाझा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है शेष जति पादीगण
अनु/ न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाई गई। अतिम
आवाज 5-45 पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से
कोई उरण नहीं हुआ, लिहाजा उनके रिवाझा एकतरफा कार्यवाही
अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील की एकपक्षीय वृत्त खुली गई।
प्रार्थी वकील ने बताया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेत लेटा
सेट आए हुए हैं खेतों के कीच पुरानी मोड़ (ए कठ) से हुए हैं
लेकिन वर्तमान आखियों की वजह से मोड़ (ए कठ) खिच गए
हैं तथा वर्षान होने पर विप्रार्थीगण प्रार्थी की अतिके खेती
कल लेने हैं जिते पक्षकालों के कीच बनाया बना रहता है।
इस कारण प्रार्थी अपने खेतवाली अतिके पम्की ने खमवेंडी
कावाना चाहता है कि प्रार्थी का ने खमवेंडी का अवेदन
स्वीकार कल प्रार्थी के खेतवाली खेत की ने खमवेंडी का अवेदन
दिया जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का
ने खमवेंडी अवेदन स्वीकार कल तहसील दाल (ठापटु को
कमीशन एवं सम्बंधित अ.म.निरीक्षक को सहायक कमीशन
नियुक्त किया जाकर अवेदन दिया जाता है कि ठीक स्वयं या
अपने सहायक कमीशन से प्रार्थी के खेतवाली अतिके
पम्की ने खमवेंडी मोके पर कमीशन शुल्क जमा करा कल करें।
पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली
के तहत शुका लो दर्जन मूल से कल को दारिखल दफतर हो।

12/2/2020
सहायक कलक्टर
(SDO) जायतु

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2020/ 146

दिनांक:-

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. दुर्गाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट
निवासी भाम्भुओं की ढाणी तहसील बायतु
जिला बाड़मेर

1. फूली पत्नी लाखाराम वगैरा निवासी
भाम्भुओं की ढाणी तहसील बायतु
जिला बाड़मेर


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 119/19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा भाम्भुओं की ढाणी पटवार हल्का माडपुरा बरवाला तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 298/277 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।



सहायक कमिश्नर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2020/ 147-151

दिनांक:- 12/7/2020

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी माडपुरा बरवाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री दुर्गाराम
4. विप्रार्थीगण श्री फूली वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिडा/बायतु/नागाणा।


12/7/2020
उपखण्ड अधिकारी बायतु